पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)

हेतु

कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
01	पृष्ठभूमि	4
02	कार्य क्षेत्र	4
03	उद्देश्य	4
04	पात्र इकाईयां	4
05	कार्यान्वयन एजेंसी	5
06	एएचआईडीएफ के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र कार्यकलाप	5-6
07	ऋण और मार्जिन राशि की मात्रा	6-7
08	ब्याज़ सहायता	7
09	क्रेडिट गारंटी निधि	8
10	वित्तपोषण तंत्र	8
11	ऋण संवितरण	8
12	अदायगी	8-9
13	भूमि और सांविधिक मंजूरी की उपलब्धता	9-10
14	परियोजना के लिए आवश्यक सांविधिक मंजूरी प्राप्त करना	10
15	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना	11
16	परियोजना प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण	11
17	परियोजना का मूल्यांकन और संस्वीकृति	12
18	कार्यान्वयन तंत्र	12-14
19	परियोजना निगरानी इकाई	14-15
20	जागरूकता उत्पन्न करना	15
21	अनुबंध ।	16

	सांविधिक मंजूरी की सांकेतिक सूची	
22	अनुबंध II आवेदन पत्र	**17-18**

संदर्भ सूची

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
एएचआईडीएफ	पशुपालन अवसंरचना विकास निधि
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
ईई	पात्र इकाईयां
एमएसएमई	सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
पीएससी	परियोजना संस्वीकृति समिति
पीएसी	परियोजना अनुमोदन समिति
एनएलएम	राष्ट्रीय पशुधन मिशन
सीजीएम	मुख्य महाप्रबंधक
पीएमए	परियोजना प्रबंधन एजेंसी
सीएलएफएमए	मिश्रित पशुधन आहार निर्माता संघ
ईडीएफ	भारतीय डेयरी संघ
एआईएलएमईए	अखिल भारतीय पशुधन और मांस निर्यातक संघ
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
फिक्की	भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ
एसोचैम	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
ईटीपी	एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट
सीओई	स्थापित करने के लिए सहमति
सीओ	संचालित करने के लिए सहमति
ईपीएफ	कर्मचारी भविष्य निधि

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) हेतु दिशा-निर्देश

पृष्ठभूमिः

हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज में 15,000 करोड़ रुपए की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) की स्थापना के बारे में उल्लेख किया गया था। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) को व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और धारा 8 की कंपनियों द्वारा (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन अवसंरचना,(ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन अवसंरचना और (iii) पशु आहार संयंत्र की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

2. कार्य क्षेत्र

जैसा कि आगामी पैराग्राफ में विस्तृत रुप से बताया गया है, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

3. उद्देश्य

(क) दुग्ध एवं दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता तथा उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करना और उसके द्वारा असंगठित ग्रामीण दुग्ध और मांस उत्पादकों को संगठित दुग्ध और मांस बाजार में व्यापक पहुंच प्रदान करना।

(ख) उत्पादकों को बढ़ा हुआ मूल्य उपलब्ध कराना।

(ग) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दुग्ध एवं मांस उत्पादों को उपलब्ध कराना।

(घ) देश की बढ़ती हुई आबादी की प्रोटीन युक्त गुणवत्तापूर्ण आहार की आवश्यकता के उद्देश्य को पूरा करना और विश्व की सर्वाधिक कुपोषित बच्चों की आबादी में से एक में कुपोषण को रोकना।

(ङ) उद्यमिता विकसित करना और रोजगार सृजित करना।

(च) निर्यात को बढ़ावा देना और दुग्ध एवं मांस क्षेत्र में निर्यात के योगदान को बढ़ाना।

(छ) किफायती मूल्यों पर संतुलित राशन प्रदान करने के लिए गोपशु, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और कुक्कुट को गुणवत्तापूर्ण संकेन्द्रित पशु आहार उपलब्ध कराना।

4. एएचआईडीएफ के तहत सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र इकाईयां (ईई)

क) किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)
ख) निजी कंपनियां
ग) व्यक्तिगत उद्यमी
घ) धारा 8 कंपनियां
ङ) सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

5. कार्यान्वयन एजेंसी

पशुपालन अवसंरचना निधि को पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

6. एएचआईडीएफ के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र कार्यकलाप

6.1. डेयरी प्रसंस्करण: डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना के तहत पात्र संस्थाएं निम्नलिखित की स्थापना हेतु लाभ उठा सकती हैं:

6.1.1 नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों की गुणवत्ता और स्वच्छ दूध प्रसंस्करण सुविधाओं, पैकेजिंग सुविधाओं या डेयरी प्रसंस्करण से संबंधित किसी भी अन्य कार्यकलाप को सुदृढ़ करना।

6.2. मूल्य वर्धित डेयरी उत्पाद विनिर्माण:

पात्र संस्थाएं निम्नलिखित दूध उत्पादों के मूल्य वर्धन हेतु नई इकाइयों की स्थापना के लिए और मौजूदा विनिर्माण इकाइयों के सुदृढ़ीकरण हेतु भी ऋण प्राप्त कर सकती हैं:

6.2.1 आइसक्रीम यूनिट

6.2.2 पनीर विनिर्माण इकाई

6.2.3 टेट्रा पैकेजिंग सुविधाओं के साथ अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर (यूएचटी) दुग्ध प्रसंस्करण इकाई

6.2.4 सुगंधित दुग्ध विनिर्माण इकाई

6.2.5 दूध पाउडर विनिर्माण इकाई

6.2.6 मट्ठा पाउडर विनिर्माण इकाई

6.2.7 कोई भी अन्य दुग्ध उत्पाद और मूल्य संवर्धन विनिर्माण इकाई।

6.3 मांस प्रसंस्करण और सुविधाओं का मूल्य संवर्धन:

6.3.1. ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में भेड़/बकरी/कुक्कुट/सुअर/भैंस के लिए नई मांस प्रसंस्करण इकाई की स्थापना और मौजूदा मांस प्रसंस्करण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

6.3.2. बड़े पैमाने वाली एकीकृत मांस प्रसंस्करण सुविधाएं / संयंत्र / इकाई।

6.3.3. **मूल्य वर्धित उत्पाद:** सॉसेज, नगेट्स, हैम, सलामी, बेकन या किसी भी अन्य मांस उत्पाद जैसे मांस उत्पादोंं के लिए नई मूल्य संवर्धन सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा मूल्य संवर्धन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण। ये सुविधाएं या तो मांस प्रसंस्करण इकाइयों या स्टैंडअलोन (एकमात्र) मांस मूल्य संवर्धन इकाई का अभिन्न हिस्सा हो सकती हैं।

6.3.4. प्रत्येक मांस प्रसंस्करण संयंत्र की परियोजना लागत में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), मीट माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी, अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला, ऑफल्स रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज, स्किन/हाइड प्रोसेसिंग एरिया और प्रशीतित उत्पादों और मूल्य वर्धित उत्पादों को कम से कम 24 घंटे रखने के लिए उनके संरक्षण और रेफ्रिजिरेशन की सुविधाओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

6.4. पात्र संस्थाएं **पशु आहार विनिर्माण की स्थापना और** निम्नलिखित श्रेणियों की **मौजूदा इकाइयों/संयंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए** भी लाभ उठा सकती हैंं:

6.4.1 लघु, मध्यम और बड़े पशु आहार संयंत्र की स्थापना

6.4.2 कुल मिश्रित राशन ब्लॉक निर्माण इकाई

6.4.3 बाईपास प्रोटीन यूनिट

6.4.4 खनिज मिश्रण संयंत्र

6.4.5 समृद्ध सिलेज निर्माण इकाई

6.4.6 मध्यम से बृहद आहार संयंत्र के साथ जोड़ी जाने वाली पशु आहार परीक्षण प्रयोगशाला या पात्र संस्थाएं गुणवत्तापूर्ण आहार सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा आहार संयंत्र में पशु आहार परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का लाभ उठा सकती हैं।

7. ऋण और मार्जिन राशि / लाभार्थी के योगदान की मात्रा:

7.1. एएचआईडीएफ के तहत परियोजना, पात्र लाभार्थियों द्वारा व्यवहार्य परियोजनाओं को प्रस्तुत करने के आधार पर अनुसूचित बैंक से अनुमानित / वास्तविक परियोजना लागत के 90% तक ऋण के लिए पात्र होगी। एमएसएमई निर्धारित सीमा के अनुसार सूक्ष्म और लघु इकाइयों के मामले में लाभार्थी का योगदान 10% हो सकता है, जबकि एमएसएमई निर्धारित

सीमा के अनुसार मध्यम उद्यमों के मामले में लाभार्थी का योगदान 15% तक हो सकता है। अन्य श्रेणियों के उद्यमों में लाभार्थी का योगदान 25% तक हो सकता है।

7.2. यदि प्राकृतिक आपदा, तकनीकी बाध्यताओं, एसओआर में परिवर्तन और किन्हीं अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों जैसे वास्तविक कारणों की वजह से परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान अनुमोदित परियोजना की लागत में वृद्धि होती है, तो उचित समय के भीतर और उस विशिष्ट परियोजना के अनुमोदन की तारीख से दो साल के भीतर ऋण राशि में वृद्धि के लिए विचार किया जाएगा।

7.3. व्यक्तिगत उपयोग के लिए भूमि, कार्यशील पूंजी, पुरानी मशीनरी और वाहन की खरीद के लिए मंजूर किए गए ऋण के लिए ब्याज सहायता की अनुमति नहीं होगी।

8. ब्याज सहायता और ब्याज की उधार दर

8.1. ब्याज सहायता: सभी पात्र इकाईयों के लिए 3%

8.2. ब्याज की उधार दर: जिन पात्र इकाईयों की परियोजना लागत एमएसएमई द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है, उनके लिए अनुसूचित बैंकों द्वारा तय की जाने वाली ब्याज दर बाह्य बैंच मार्क आधारित उधार दर (ईबीएलआर) सहित 200 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, अन्य परियोजना के लिए अनुसूचित बैंकों द्वारा तय की जाने वाली ब्याज दर बैंकों की व्यावसायिक ब्याज दर पर आधारित हो सकती है।

8.3. पशुपालन और डेयरी विभाग अनुसूचित बैंक को सीधे ब्याज का भुगतान करेगा। प्रारंभ में विभाग अनुसूचित बैंक के अनुरोध के आधार पर पहले वर्ष के लिए ऋण देने वाले बैंक को अग्रिम ब्याज सहायता राशि का भुगतान करेगा। दूसरे वर्ष से ब्याज सहायता अनुसूचित बैंकों द्वारा हर वर्ष अग्रिम में दावा की गई गैर-एनपीए उधारकर्ता हकदारी के आधार पर जारी की जाएगी।

8.4. यदि पात्र इकाई दिए गए किसी भी वर्ष में ऋण राशि की अदायगी की डिफॉल्टर है, तो वह पात्र संस्था ब्याज सहायता नही पा सकेगी।

9. क्रेडिट गारंटी निधि

9.1. 750 करोड़ रुपए (सात सौ पचास करोड़ रुपए) के क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की जाएगी। निधि का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा।

9.1.1. पशुपालन और डेयरी विभाग प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में क्रेडिट गारंटी के लिए 10 वर्षों में प्रति वर्ष 75 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।

9.1.2. क्रेडिट गारंटी केवल उन परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी जो व्यवहार्य हैं और एमएसएमई द्वारा निर्धारित सीमा के तहत कवर की गई हैं। गारंटी कवरेज उधारकर्ता को उपलब्ध क्रेडिट सुविधा के 25% तक होगा।

9.1.3. अन्य लाभार्थी, जो एमएसएमई मानदंडों के तहत शामिल नहीं हैं, को क्रेडिट गारंटी प्रदान नहीं की जाएगी, हालांकि, वे पात्र इकाईयां ब्याज सहायता प्राप्त करने के योग्य होंगी।

9.1.4. नाबार्ड द्वारा प्रबंधित क्रेडिट गारंटी निधि की विशिष्टताओं के साथ विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

10. वित्तपोषण तंत्र

10.1 एएचआईडीएफ की 15000 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि वर्ष 2020-21 से अनुसूचित बैंक द्वारा वितरित की जाएगी।

10.2 अनुसूचित बैंक पात्र इकाईयों को उधार देने के लिए अपने उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।

11. **ऋण संवितरण**

11.1. एएचआईडीएफ की 15000 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि वर्ष 2020-21 से शुरू होने वाली 3 वर्ष की अवधि के भीतर अनुसूचित बैंकों द्वारा संवितरित की जाएगी।

12. अदायगी:

12.1 अदायगी की अधिकतम अवधि: मूल राशि पर 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित 8 वर्ष।

12.2. अनुसूचित बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अदायगी की अधिकतम अवधि मूल के भुगतान पर 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित प्रथम संवितरण की तारीख से 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12.3 तथापि, फाइनेंसिंग बैंक, अपने विवेक पर, परियोजना परिमाण, वित्तीय निवेश का आकार, परियोजना के समर्थकों (पात्र इकाईयों) की भुगतान क्षमता आदि के आधार पर, अदायगी की अवधि को कम कर सकता है।

12.4 इसके अलावा, एएचआईडीएफ के प्रावधानों के अधीन, परिचालन और ऋण संबंधी निर्णय जैसे कि अदायगी की प्रक्रिया, दंड ब्याज, सुरक्षा और वित्त की सीमा का निर्धारण अनुसूचित बैंक द्वारा किया जाएगा।

12.5 एएचआईडीएफ के प्रावधानों के अधीन, अनुसूचित बैंक, उनके कोष की लागत और ऋण की जोखिम धारणा को ध्यान में रखते हुए आरबीआई के व्यापक विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण की दर तय करेगा।

12.6 एएचआईडीएफ के प्रावधानों के अधीन, अनुसूचित बैंक अनुमोदित परियोजनाओं में न्यायोचित वृद्धि हेतु अतिरिक्त ऋण प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

12.7. यदि अनुसूचित बैंक द्वारा स्वीकृति की तारीख से छह माह के भीतर कोई आहरण नहीं किया जाता है तो परियोजना शुरू नहीं होगी। इसके अलावा, यदि पात्र इकाई, अनुसूचित बैंक द्वारा स्वीकृति की तारीख से 12 माह की अवधि के भीतर परियोजना को स्थापित करने में विफल रहती है, तो स्वीकृति समाप्त हो जाएगी। यह एक व्यापक दिशानिर्देश है, तथापि, उधार देने वाला बैंक मामला दर मामला आधार पर अंतिम निर्णय ले सकता है।

12.8. उधारकर्ता बैंक इस संबंध में बैंक की विचारार्थ मदों के अनुसार वास्तविक बाधाओं और कठिनाईयों के कारण पात्र इकाईयों द्वारा परियोजनाओं की वापसी पर विचार कर सकता है।

12.9. अनुसूचित बैंक परियोजना के लिए संस्वीकृत ऋणों और अग्रिमों के आगे संवितरण को रोकने पर विचार कर सकता है, जब तक कि डिफ़ॉल्ट रूप से पात्र इकाई द्वारा ऐसी राशि का संपूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों में, उपरोक्त परियोजनाओं को पूरा करने के दौरान होने वाली किसी भी हानि, क्षति या खर्चों के लिए न तो उधार देने वाली एजेंसी और न ही पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार उत्तरदायी होगा।

13. भूमि और सांविधिक मंजूरी की उपलब्धता

13.1 एएचआईडीएफ के तहत ऋण किसी भी तरीके से जैसे कि अभिचिह्नित परियोजना कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक खरीद, हस्तांतरण, पट्टे, परिग्रहण/परिवर्धन आदि से भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।

13.2. एएचआईडीएफ के तहत पात्र इकाई को वित्त के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले, अपनी स्वयं की लागत पर आवश्यक भूमि (उनके पास भूमि की अनुपलब्धता के

मामले में) प्राप्त करने और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

13.3. एएचआईडीएफ के तहत वित्तपोषण के लिए दीर्घकालिक लीज (न्यूनतम 30 वर्ष) पर भूमि रखने वाली परियोजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। तथापि, ऋण को सुरक्षित करने के लिए लीज अवधि/समझौता पर्याप्त अवधि का होना चाहिए। लीज के मामले में, बैंक को गिरवी रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

13.4. पात्र इकाई को लीज समझौते को बीच में (सहमत लीज अवधि से पूर्व) समाप्त करने और एएचआईडीएफ के तहत भूमि तथा प्राप्त किए गए ऋण के साथ सृजित सुविधाओं की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। तथापि, अपरिहार्य परिस्थितियों, जो भी हो, में ऐसा करने की बाध्यता के मामले में, पात्र संस्था संबंधित ब्याज और पूर्वभुगतान दंड, यदि कोई हो, के साथ, उस समय तक प्राप्त किए गए संपूर्ण ऋण को एकल किस्त में अनुसूचित बैंक को लौटाने के पश्चात् संबंधित बैंक से अनुमति प्राप्त करेगी।

13.5. भूमि और वैधानिक मंजूरी (जहां भी आवश्यक हो) की उपलब्धता संबंधी आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ पुष्टीकरण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/स्वतः पूर्ण प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। अनिवार्य रूप से आवश्यक मंजूरी की सूची अनुबंध-1 में संलग्न है।

13.6 पात्र इकाईयां सभी अधिक्रमण और अतिक्रमणों से मुक्त आवश्यक भूमि की उपलब्धता के दस्तावेजी साक्ष्य/प्रमाण पत्र प्रदान करेंगी।

14. परियोजना के लिए आवश्यक सांविधिक मंजूरी प्राप्त करना

14.1. पात्र संस्थाओं को एएचआईडीएफ के तहत अपेक्षित परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक मंजूरी, अनुमति और लाइसेंस, जो भी और जहां भी आवश्यक हो, प्राप्त करना अपेक्षित होता है। सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए यदि कोई अपेक्षित व्यय शामिल है, तो वह आवेदकों/लाभार्थियों द्वारा पूरा किया जाएगा।

14.2. सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को राज्य सरकार में विभिन्न विभागों / संगठनों से संपर्क करना होगा। इससे लाभार्थी को अनावश्यक बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए, राज्य पशुपालन विभाग परियोजना के लिए आवश्यक सांविधिक मंजूरी की सुविधा के लिए एकल विंडो स्थापित करेगा और परियोजना को बैंक तथा पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए पात्र इकाईयों का प्रबंधन करेगा। अपेक्षित सांविधिक मंजूरी की सांकेतिक सूची **अनुबंध I** में दी गई है।

15. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना

15.1. पात्र इकाईयां स्वतः पूर्ण प्रस्ताव के साथ एएचआईडीएफ के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए विस्तृत व्यवहार्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगी।

15.2. प्रत्येक परियोजना रिपोर्ट में दूध, मांस और पशु चारे के लिए गुणवत्ता प्रबंधन इकाई, पैकेजिंग इकाई की स्थापना और उत्पाद संवर्धन संबंधी प्रस्ताव शामिल होना चाहिए।

15.3. परियोजना रिपोर्ट में भविष्य का बाजार निर्माण, रोजगार के अवसर, कच्चे माल की खरीद और परियोजना से संबंधित कोई अन्य जानकारी भी शामिल होनी चाहिए।

15.4. विशेष रूप से डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन तथा पशु आहार संयंत्र की स्थापना से संबंधित अवसंरचना के लिए विस्तृत परियोजनाएं निम्नलिखित के आधार पर तैयार की जानी चाहिएं:

(i) उपयुक्त स्थल की पहचान

(ii) आवश्यक इंजीनियरिंग और सामाजिक-आर्थिक जांच और सर्वेक्षण,

(iii) सुविधाओं की योजना तथा डिजाइनिंग और

(iv) जहां भी आवश्यक हो आदर्श अध्ययन।

15.5. पात्र इकाईयां परियोजना दस्तावेजों की तैयारी के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्य पशुपालन विभाग, राज्य सरकार या केंद्र सरकार निगमों, परामर्शी सेवाओं से भी संपर्क कर सकती हैं। यदि आवश्यक हो, तो पात्र इकाईयां सिडबी के उद्यमी मित्र पोर्टल पर उपलब्ध हैंडहोल्डिंग एजेंसियों की सूची भी देख सकती हैं।

15.6. राज्य पशुपालन विभाग ऐसी पात्र इकाईयां द्वारा अनुरोध किए जाने पर एकल विंडो सिस्टम के माध्यम से आवश्यक मंजूरी की सुविधा उपलब्ध कराने सहित परियोजनाएं तैयार करने के लिए उन्हें हैंडहोल्ड करेगा।

16. परियोजना प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण

16.1. पात्र इकाईयां भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा विकसित "उद्यमी मित्र" पोर्टल के माध्यम से पूर्ण डीपीआर के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

16.2. पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा एएचआईडीएफ के तहत ब्याज सहायता के अनुमोदन के अधीन परियोजना के यथोचित मूल्यांकन और स्वीकृति के पश्चात् अनुसूचित बैंक, ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से ब्याज सहायता के अनुमोदनार्थ पशुपालन और डेयरी विभाग को आवेदन/परियोजना प्रेषित करेंगे।

16.3 ब्याज सहायता मांगने संबंधी आवेदन को **अनुबंध-II** में संलग्न फॉर्म के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।

17. परियोजना का मूल्यांकन और संस्वीकृति

17.1. पशुपालन और डेयरी विभाग में गठित परियोजना प्रबंधन एजेंसी आवेदन की जांच करेगी, परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा एएचआईडीएफ के तहत ब्याज सहायता के अनुमोदनार्थ अनुसूचित बैंकों द्वारा संस्वीकृत प्रस्ताव का मूल्यांकन और आकलन करेगी।

17.2. परियोजना अनुमोदन समिति नियमित रूप से बैठक करेगी और इसके समक्ष रखे गए प्रस्तावों पर विचार करेगी तथा ब्याज सहायता देने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करेगी।

17.3. परियोजना अनुमोदन समिति परियोजनाओं की जांच और मूल्यांकन के पश्चात् परियोजना संस्वीकृति समिति (पीएससी) के समक्ष 50 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की सिफारिश करेगी।

17.4. बैंक एएचआईडीएफ के तहत ब्याज सहायता हेतु ऐसी परियोजनाओं पर विचार करने से पूर्व परियोजना संस्वीकृति समिति / परियोजना अनुमोदन समिति को ऋण स्वीकृति की प्रति भेजेगा।

17.5. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने के बाद परियोजना अनुमोदन समिति/परियोजना संस्वीकृति समिति एमएसएमई के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक परियोजना पर क्रेडिट गारंटी के लिए भी सिफारिश करेगी।

17.6. समिति द्वारा सभी परियोजनाओं का मूल्यांकन पात्र इकाईयों के पात्रता मानदंडों, प्रस्तावित पात्र कार्यकलापों, बैंक के अनुमोदन, भौगोलिक प्राथमिकताओं, एमएसएमई प्रमाणन, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, माँग और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाएगा।

18. कार्यान्वयन तंत्र

18.1. एएचआईडीएफ के कार्यान्वयन के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है।

18.2. परियोजना संस्वीकृति समिति (पीएससी)

18.2.1. गठन:

(i) सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार- अध्यक्ष

(ii) नाबार्ड के प्रतिनिधि, जिनका स्तर सीजीएम के स्तर से कम न हो

(iii) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के वित्तीय सलाहकार

(iv) वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधि, जिनका स्तर संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो।

(v) खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के प्रतिनिधि, जिनका स्तर संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो

(vi) संयुक्त सचिव **(**गोपशु और डेयरी विकास**),** पशुपालन और डेयरी विभाग

(vii) संबंधित राज्य के सचिव

(viii) भाग लेने वाले बैंकों के प्रतिनिधि**,** जो उप प्रबंध निदेशक/सीजीएम से कम न हो

(ix) संयुक्त सचिव **(**एनएलएम**) -** सदस्य संयोजक

18.1.2. पीएससी की विचारार्थ मदें (टीओआर) इस प्रकार होंगी:

(क**)** एएचआईडीएफ दिशानिर्देशों के अनुमोदन **/** संशोधन पर निर्णय लेना।

(ख**)** कार्यकालापों को जोड़ने और हटाने के बारे में निर्णय लेना**,** वार्षिक कार्य योजनाओं और निधि आहरण योजनाओं आदि को अनुमोदित करना।

(ग**)** परियोजना अनुमोदन समिति की अनुशंसा के आधार पर ब्याज सहायता के लिए परियोजनाओं को मंजूरी देना।

(घ**)** परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शक्तियों को प्रत्यायोजन।

(ङ**)** व्यक्तिगत कार्यकालापों के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को संशोधित करना और इकाई लागत में सुधार करना।

(च**)** पीएससी के सदस्यों के रूप में पशुपालन क्षेत्र से बाह्य विशेषज्ञों का चयन करना।

(छ**)** जब और जैसे आवश्यक हो बैठक आयोजित करना।

18.3. **परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी):**

18.3.1. **गठन**

(i) संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय पशुधन मिशन) - अध्यक्ष

(ii) नाबार्ड के प्रतिनिधि

(iii) वित्तीय सलाहकार, डीएएचडी के प्रतिनिधि

(iv) वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधि

(v) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि

(vi) संबंधित बैंक के प्रतिनिधि

(vii) डेयरी प्रभाग के प्रतिनिधि

(viii) संबंधित राज्य के प्रतिनिधि (जिनका स्तर निदेशक के स्तर से कम न हो)

(ix) एनएलएम प्रभाग के संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ निदेशक- संयोजक

18.3.2. विचारार्थ मदें (टीओआर)

(i) परियोजना अनुमोदन समिति योजना के दिशानिर्देश तैयार करेगी और अनुमोदन के लिए परियोजना संस्वीकृति समिति को प्रस्तुत करेगी।

(ii) परियोजना अनुमोदन समिति ब्याज सहायता हेतु 50.00 करोड़ रुपए तक की परियोजना को मंजूरी देगी।

(iii) परियोजना संस्वीकृति समिति द्वारा परियोजना अनुमोदन समिति की सिफारिश के पश्चात् ब्याज सहायता हेतु 50 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को अनुमोदित किया जाएगा।

(iv) प्रस्ताव के आधार पर समिति की बैठक हर माह या एक माह से पहले भी की जाएगी।

19. परियोजना निगरानी इकाई

19.1 पशुपालन और डेयरी विभाग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) को आउटसोर्स करेगा।

19.2. पीएमए की विचारार्थ मदें निम्नानुसार होंगी:

(i) पीएमए सभी डेस्क और क्षेत्रीय निगरानी के लिए मुख्यालय में जनशक्ति सहित सभी लॉजिस्टिक सहायता की व्यवस्था करेगा और गैर-स्टार्टर परियोजनाओं, धीमी प्रगति वाली परियोजनाओं, भौगोलिक और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, परियोजना-वार प्रगति रिपोर्ट के संकलन, परिणाम आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों और बाधाओं की पहचान करेगा। निगरानी तंत्र का डिजाइन पीएससी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii). पीएमए, बैंकों और डीएएचडी में प्राप्त, संसाधित और लंबित आवेदन से संबंधित उद्यमी मित्र पोर्टल की निगरानी, एमआईएस प्रणाली हेतु डैश बोर्ड का विकास, परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने, एएचआईडीएफ पर प्रश्नों के संबंध में लाभार्थियों के मार्गदर्शन, प्रस्तावों की खोज, बैंकों से बातचीत करने का कार्य भी करेगा। पीएमए परियोजनाओं का मूल्यांकन भी करेगा और अनुमोदनार्थ पीएसी / पीएससी के समक्ष रखेगा।

(iii). पीएमए, पीएसी और पीएससी से पूर्व परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन तथा रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में भी सहायता प्रदान करेगा।

19.3. पीएससी**,** पीएसी और पीएमए मिलकर परियोजना निगरानी के कार्य को निम्नलिखित तरीके से करेंगे**:**

(i) पशुपालन और डेयरी विभाग में परियोजना संस्वीकृति समिति एएचआईडीएफ के तहत अनुमोदित परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी करेगी। एएचआईडीएफ के तहत

प्रारंभ की गई परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पीएससी की निगरानी बैठक तिमाही आधार पर आयोजित की जाएगी।

(ii) पीएमए, पात्र इकाईयों, बैंकों से त्रैमासिक आधार पर परियोजना की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों सहित उसकी प्रगति के बारे में जानकारी एकत्र करेगा और पीएससी के समक्ष रखेगा।

(iii) कार्यान्वयन के समय किसी भी परियोजना द्वारा तकनीकी और प्रशासनिक बाध्यताओं का सामना किए जाने के कारण यदि आवश्यक हो तो पीएससी परियोजना-वार मध्यावधि सुधार करेगी। मध्यावधि सुधारों में परियोजना का दायरा बढ़ाना/कम करना, परियोजना घटकों की पुन: व्यवस्था, समग्र अनुमोदित परियोजना लागत के भीतर एक मद से दूसरे मद में धन का पुन: विनियोजन शामिल होगा।

(iv) यदि पात्र इकाई बैंक से ऋण प्राप्त करने में विफल रहती है तो परियोजना को गैर-स्टार्टर माना जाएगा।

20. जागरुकता उत्पन्न करना

20.1. ऐसे विभिन्न हितधारक हैं जो योजना का लाभ उठा सकते हैं। इन हितधारकों को योजना के बारे में पर्याप्त रूप से जानकारी होनी चाहिए ताकि वे निधि तक पहुंच बना सकें। इसलिए, केंद्र सरकार जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया का उपयोग करेगी।

20.2. भारतीय डेयरी परिसंघ (आईडीएफ), मिश्रित पशुधन आहार विनिर्माता एसोसिएशन (सीएलएफएमए), अखिल भारतीय पशुधन और मांस निर्यातक एसोसिएशन, राज्य सरकार के पशुधन निगम, सीआईआई, फिक्की, एसोचैम जैसे स्टेक होल्डर्स और अन्य जागरूकता सृजन में शामिल होंगे।

20.3. राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं, व्यावसायिक बैठकों के द्वारा जमीनी स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करेगी। इस तरह की जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्यों और अन्य एजेंसियों को निधियन सहायता प्रदान की जाएगी।

****

सांविधिक मंजूरी की सांकेतिक सूची

क्र. सं.	संविधि का नाम
01	राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण मंजूरी
02	पट्टे पर या भूमि के स्वामित्व पर भूमि प्राधिकरण से अनापत्ति
03	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापित करने (सीओई) और संचालित (सीओ) करने संबंधी सहमति
04	ट्रेड लाइसेंस
05	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
06	जल और वायु अधिनियम
07	राज्य विद्युत बोर्ड
08	एमएसएमई पंजीकरण (केवल एमएसएमई कंपनियों के लिए)
09	कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण (केवल कंपनियों के लिए)
10	श्रम अधिनियम / ईपीएफ अधिनियम के तहत पंजीकरण।
11	डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्र स्थापित करने के लिए संबंधित राज्य से अपेक्षित कोई भी अन्य सांविधिक मंजूरी।

अनुबंध II

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

ऑनलाइन आवेदन फार्म

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत ब्याज सहायता की मांग

फोटो
हस्ताक्षर

क्र.सं.	**विवरण**	
1.	**अवसंरचना की श्रेणी** क. डेयरी प्रसंस्करण ख. मांस प्रसंस्करण ग. पशु आहार संयंत्र घ. मूल्य संवर्धन	
2.	**पात्र इकाई का नाम** क. किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) ख. धारा 8 कंपनी ग. व्यक्तिगत उद्यमी घ. निजी कंपनी ङ. एमएसएमई	
3.	**पता** क. प्रस्तावित परियोजना का स्थान (भू-टैगिंग और साइट के मानचित्र और फोटो के साथ) ख. कॉर्पोरेट कार्यालय का स्थान ग. व्यक्तियों का पता	
4.	कंपनी का कुल कारोबार (पिछले तीन साल की बैलेंस शीट प्रदान करें)	
5	यदि एमएसएमई परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, तो कृपया प्रमाणपत्र प्रदान करें	
6.	पैन / टिन / आधार संख्या	
7.	टेलीफोन नं./ मोबाइल नं.	
8.	ईमेल पता	

9.	**बैंक विवरण जहां ऋण आवेदन को मंजूरी दी गई है** क. बैंक का नाम ख. बैंक शाखा ग. पता घ. शाखा प्रबंधक का ईमेल पता ङ. टेलीफोन नं. च. आईएफएससी कोड	
10.	**बैंक खातों का विवरण** क. बैंक का नाम ख. बैंक शाखा ग. पता घ. ऋण खाता संख्या ङ. टेलीफोन नं. च. आईएफएससी कोड	
11.	परियोजना का विवरण (परियोजना का संक्षिप्त विवरण)	

(आवेदक के हस्ताक्षर)

कृपया निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें

- घटक वार लागत ब्रेकअप, कुल लागत, आवर्ती लागत, शुद्ध आय आदि सहित विस्तृत परियोजना और परियोजना की व्यवहार्यता
- सहायक दस्तावेज [पते का प्रमाण, पैन / टिन / आधार कार्ड की प्रति, एमएसएमई प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), भूमि धारण का प्रमाण (स्वामित्व या पट्टा, रूपांतरण), शिक्षा प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आय प्रमाण, परियोजना के लिए प्रासंगिक पिछले छह महीने का बैंक विवरण।
- परियोजना की स्थल योजना (साइट प्लान)।
- मशीनरी और उपकरण की सूची।
- प्रसंस्करण सुविधा की पंजीकृत वास्तुकार द्वारा प्रमाणित लेआऊट योजना (सिविल और मशीनरी दोनों)।
- सभी सांविधिक मंजूरियां जैसे स्थानीय प्रशासन से अनुमति, व्यापार लाइसेंस, स्थापना की सहमति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कार्य करने के लिए सहमति, परियोजना के लिए आवश्यक एफएसएसएआई लाइसेंस।
- उत्पाद की गुणवत्ता का प्रबंधन, उत्पाद संवर्धन और बाजार विकास सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप।